



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ21/एनआरएचएम/एमएच/2010/7257

दिनांक: 26/2/10

अल्प अवधि विज्ञापन

एनआरएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार के अधीन चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (एफआरयू) पर विशेषज्ञों की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु गायनेकोलोजिस्ट, निश्चेतन विशेषज्ञ व बालरोग विशेषज्ञों की संविदा पर अस्थाई तौर पर एक वर्ष के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह नियुक्ति संबंधित जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की सिफारिश पर निम्न जिलों के चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (एफआरयू) पर की जाएगी -

क्र. सं.	जिला	विशेषज्ञों की संख्या		
		एनेस्थेटिस्ट	गायनीकोलोजिस्ट	पीडियाट्रिशियन
1	अजमेर	2	0	2
	अलवर	6	2	4
3	भीलवाड़ा	5	0	1
4	बीकानेर	2	1	1
5	बारां	4	3	2
6	भरतपुर	6	3	1
7	बांसवाड़ा	2	1	3
8	बून्दी	3	3	3
9	बाड़मेर	1	2	0
10	चित्तौड़गढ़	1	1	1
11	चुरू	2	2	0
12	दौसा	3	0	0
13	धौलपुर	2	1	1
14	डूंगरपुर	2	1	1
15	हनुमानगढ़	2	1	1
16	जालौर	2	1	0
17	जैसलमेर	1	1	1
18	जयपुर	5	3	7
19	झालवाड़	6	3	1
20	झुन्झुनू	4	1	1
21	जोधपुर	5	4	3
22	कोटा	1	1	2
23	करौली	0	2	0
24	नागौर	5	1	2
25	पाली	1	1	3
26	प्रतापगढ़	1	1	1
27	राजसमन्द	4	3	2
28	स.माधोपुर	2	0	2
29	श्रीगंगानगर	3	5	3
30	सीकर	2	0	1
31	सिरोही	2	2	1
32	टोंक	1	0	0
33	उदयपुर	4	3	4
	कुल	92	53	55

TOTAL SPECIALISTS ARE REQUIRED = 200

उपरोक्त विशेषज्ञों को संविदा पर अस्थाई तौर पर नियुक्ति केवल एफआरयू पर ही दी जावेगी। चयनित एफआरयू पर विशेषज्ञों के रिक्त पदों की सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास व वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगी।

संविदा पर अस्थाई नियुक्ति हेतु पात्रता एवं शर्तें -

उक्त पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/निशक्त जन/महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

शैक्षणिक योग्यता

एमबीबीएस एवं पीजी गायनेकोलोजी, पीजी एनेस्थीजिया एवं पीजी पीडियाट्रिक्स।

अनुभव

विशेषज्ञों को तीन वर्ष का अपने विषय में कार्य अनुभव एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ को सिजेरियन सेक्शन करने का अनुभव आवश्यक है।

राजस्थान मेडिकल कौंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र।

विशेषज्ञों को मुख्यालय पर रहना आवश्यक है तथा एफआरयू पर कार्य नहीं करने की स्थिति में व अनुपस्थित रहने पर सख्त कार्यवाही कर पदच्युत किया जायेगा।

विशेषज्ञों का प्रतिमाह कार्य मूल्यांकन किया जाएगा (गायनेकोलोजिस्ट को आपातकालीन प्रसव सुविधा मय सिजेरियन सेक्शन सेवा उपलब्ध करानी होगी। एनेस्थेटिस्ट को आपातकालीन सिजेरियन हेतु एनेस्थीजिया व बालरोग विशेषज्ञों को Neo Natal Care की सेवा उपलब्ध करानी होगी)।

वेतन

विशेषज्ञों को प्रतिमाह 60,000 रु. मानदेय (फिक्स) देय होगा।

आयु

अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।

अनुबन्ध पर रखने हेतु गठित कमेटी

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी गठित की जावेगी, जिसके सदस्य सचिव संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होंगे जो कि प्रथमतया: जिले के दूर-दराज के एफआरयू को फंक्शनल बनाने हेतु विशेषज्ञों का चयन करेंगे।

संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जोन स्तरीय कमेटी अपने जोन के एक जिले से दूसरे जिले में विशेषज्ञों को आवश्यकतानुसार स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत होंगे, जिसमें संयुक्त निदेशक संबंधित जोन सदस्य सचिव होंगे।

अनुबन्ध अवधि

प्रथमतया एक वर्ष के लिए होगी। अनुबन्ध अवधि में वृद्धि जिला कलेक्टर द्वारा विशेषज्ञों के कार्य सन्तुष्टि के आधार पर होगी।

इच्छुक विशेषज्ञ अपने आवेदन पत्र संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 10 मार्च 2010 तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे तथा दिनांक 17 मार्च 2010 को इच्छुक अभ्यर्थी मुख्य दस्तावेजों एवं प्रमाण-पत्रों सहित संबंधित जिलाधीश कार्यालय प्रातः 10 बजे साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

अधिक जानकारी के लिए जिले में चयनित एफआरयू पर विशेषज्ञों की vacant post की सूची www.rajswasthya.nic.in साईट पर भी उपलब्ध है।

(भवानी सिंह देथा)
मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

**अस्थायी तौर पर विशेषज्ञ गायनेकोलोजिस्ट/निश्चेतन/बालरोग विशेषज्ञ के पद पर अनुबंध पर नियुक्ति हेतु
आवेदन-पत्र**

1. प्रार्थी का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. स्थाई एवं वर्तमान पता (पिनकोड सहित)
4. जन्मतिथि (सैकण्डरी के सर्टिफिकेट के अनुसार)
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/निःशक्तजन
6. पुरुष/महिला (विवाहित/अविवाहित)
- यदि विवाहित है तो कितनी संतान है, के संबंध में प्रमाण-पत्र
7. शैक्षणिक योग्यता एमबीबीएस (विश्वविद्यालय का नाम)
कॉलेज **वर्ष उत्तीर्ण**

इन्टरनैशनीप पूर्ण करने के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

8. स्नातकोत्तर योग्यता (गायनेकोलोजिस्ट/निश्चेतन/बालरोग विशेषज्ञ)
विषय डिग्री डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष

9. अभ्यार्थी का नियोजन कार्यालय का पंजीकरण क्रमांक दिनांक.....जिला.....
(पंजीकरण कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
10. राजस्थान मेडिकल कौंसिल में स्थाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
11. अनुभव विवरण

दिनांक :-

प्रार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

प्रार्थना-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करें। हां/नां में अंकित करें -

- | | | |
|--|-----|------|
| 1. हाई स्कूल/सैकण्डरी का प्रमाण-पत्र जन्मतिथि सहित | हां | नहीं |
| 2. एमबीबीएस की डिग्री | हां | नहीं |
| 3. पीजी की डिग्री | हां | नहीं |
| 4. यदि अभ्यार्थी अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/
निःशक्त जन हो तो उसका प्रमाण-पत्र। | हां | नहीं |
| 5. राजस्थान मेडिकल कौंसिल का स्थाई रजिस्ट्रेशन | हां | नहीं |
| 6. इन्टरनैशनीप पूर्ण करने के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति | हां | नहीं |
| 7. नियोजन कार्यालय के पंजीकरण कार्ड की छायाप्रति | हां | नहीं |